



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश  
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)  
लिंक रोड नंबर 3, माधवराव सप्रे मार्ग, भोपाल- 462003



**:-विज्ञापन:-**

विज्ञा.क्र./रा.स्वा.मि./मा संसा./सेल-1/2022/2294

भोपाल, दिनांक: 04-04-2022

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत (मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम) हेतु म.प्र. राज्य के मूल निवासियों से संविदा क्लीनिकल साइकलॉजिस्ट के 47 पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।  
उपरोक्त संविदा पदों हेतु किये जाने वाले सेवा अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिये होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।


क्र	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता/वाछनीय शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
	संविदा क्लीनिकल साइकलॉजिस्ट	47	40,000/- रुपये प्रतिमाह	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (एम.ए/एमएससी/एम फिल/पीएचडी) क्लीनिकल साइकलॉजिस्ट (आर.सी.आई.मान्यता प्राप्त)	21-40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/01/2022 की स्थिति में

आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल [www.sams.co.in](http://www.sams.co.in) के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक 12/04/2022 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि 12/05/2022 है। ऑफ लाईन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेग

2 पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

पद का नाम	कुल पद	अनारक्षित (27%)		आर्थिक रूप से कमजोरी वर्ग (10%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछड़ावर्ग (27%)		रिक्तियों से म.प्र. की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या(6%)			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	व्ही एच एच	एच एच	ओडी	एमडी
संविदा क्लीनिकल साइकलॉजिस्ट	47	9	5	3	1	6	3	5	2	9	4	0	0	2	1

- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नि:शक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 06 प्रतिशत पद दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का दिव्यांगजन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयंसेव निरस्त माने जायेंगे।
- अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

  
मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश